₹50 हजार करोड़ का होगा निवेश, विकास की राह पर दौड़ेगा लखनऊ

माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। औद्योगिक जिला बनने की ओर बढ़ रहे लखनऊ में 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश कराए जाने की तैयारी है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले मंगलवार को होने वाले लखनऊ निवेशक सम्मेलन में उद्यमी जिला प्रशासन और जिला उद्योग केंद्र के साथ करार करेंगे। फिर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेश का एमओयू साइन होगा।

अधिकारियों का कहना है कि करीब 25 हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव मिल चुके हैं। इनमें 16 हजार करोड़ रुपये के साथ अभी तक रीयल एस्टेट सेक्टर सबसे बड़े निवेशक के रूप में सामने आया है। इसके बाद एमएसएमई ने तीन हजार करोड़ रुपये के अपने प्रस्ताव दिए हैं। आईआईए ने भी करीब 1000 करोड़ रुपये के निवेश की बात कही है।

कलेक्ट्रेट में सोमवार को प्रेसवार्ता में डीएम सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि लखनऊ निवेशक सम्मेलन दो भागों में होगा। एक ओर उद्यमियों संग इंटेंट के लिए अनुबंध किया जाएगा तो तकनीकी सत्र में मौजूदा नीतियों और सुगमता के साथ प्रक्रिया पूरी करने के तरीके बताए जाएंगे।

इसमें एलडीए, नगर निगम, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिला पंचायत, जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी औद्योगिक परिसर के लिए मानचित्र स्वीकृति से लेकर अन्य अनुमति और नियमों की जानकारी देंगे। इस दौरान उद्यमियों की दिक्कतों का भी हल निकाला जाएगा। सम्मेलन में सभी विभागों के अधिकारी रहेंगे।

औद्योगिक संगठनों आईआईए, फिक्की, एसोचैम यूपी-यूके, सीआईआई आदि के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। प्रेसवार्ता में एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह, सीडीओ रिया केजरीवाल, जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्तमनोज चौरसिया और आईआईए के अध्यक्ष मोहित सूरी मौजूद थे ।

25000
करोड़ रुपये के प्रस्ताव आ चुके हैं अधिकारियों के मुताबिक

16000
करोड़ के साथ रीयल एस्टेट सेक्टर अब तक सबसे बड़ा निवेशक

3000
करोड़ रुपये के प्रस्ताव एमएसएमई की ओर से दिए गए हैं

लखनऊ निवेशक सम्मेलन में उद्यमियों संग जिला प्रशासन और जिला उद्योग केंद्र आज करेगा अनुबंध, फिर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में होगा एमओयू

प्रेसवार्ता के दौरान आईआईए अध्यक्ष, डीएम, एलडीए वीसी और नगर आयुक्त। -जागरण

चार नई इंटीग्रेटेड टाउनशिप होंगी विकसित

एलडीए वीसी ने बताया कि लखनऊ की नई परियोजनाओं में 16 हजार करोड़ रुपये के रीयल एस्टेट कंपनियों से प्रस्ताव पर सहमति बनी है। इसमें चार नई इंटीग्रेटेड टाउनशिप शामिल हैं। एलडीए की अपनी आवासीय योजना इसी साल शुरू होनी है। मौजूदा योजनाओं में भी नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। इससे जहां बड़ी संख्या में निवेश होगा तो लोगों को बेहतर आवास भी मिलेंगे। आवास विकास परिषद के शामिल होने से आंकड़ा और बढ़ेगा। जनवरी के अंत तक लॉजिस्टिक प्लान भी तैयार कर लिया जाएगा। मोबिलिटी प्लान, सीडीपी पहले ही तैयार हो चुकी है। इसके बाद महायोजना 2031 में इन्हें शामिल करते हुए जरूरी संशोधन किए जाने हैं।

पुराने प्रोजक्टों को नया चेहरा देने की तैयारी

एलडीए पुरानी योजनाओं में प्रचलित प्रोजेक्टों को नए नाम या लॉन्च के नाम पर निवेश के बड़े आंकड़े दिखा रहा है। कोई नई हाईटेक टाउनशिप शुरू नहीं होगी। मौजूदा दो हाईटेक टाउनशिप में ही एफएसआई के जरिये निवेश आना बताया जा रहा है। चार नई इंटीग्रेटेड टाउनशिप को जहां नया बताया जा रहा है, उनके विकास के काम लंबे समय से अटके हैं। अब देखना होगा कि बाकी सेक्टरों में प्रशासन और उद्योग केंद्र क्या करता है।

आयोजन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए शामिल होंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में सरकार की नीतियों के अलावा भविष्य की योजनाओं के लिए भी चर्चा होगी। उप मुख्यमंत्री इंटेंट के लिए अनुबंध साइन होने के समय मौजूद रहेंगे।

राहत : उद्यमियों के लिए भू-उपयोग परिवर्तन अब किया जाएगा आसान

माई सिटी रिपोर्टर

- कृषक से गैर कृषि उपयोग के लिए जमीन का भू-उपयोग करने की प्रक्रिया सात दिन में ही कर ली जाएगी पूरी
- 'अमर उजाला' के संवाद में उद्यमियों ने गिनाई थीं दिक्कतें

लखनऊ। उद्योग लगाने के लिए जमीन मिलने और इसके लिए जरूरी भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को जिला प्रशासन आसान बनाएगा। इसमें उद्यमियों को जमीन खरीदने से पहले ही जरूरी सहमति पत्र दे दिया जाएगा।

दूर-दराज के गांवों में जमीन लिए जाने पर जरूरी पहुंच मार्ग, बिजली के अलावा ग्राम सभा की जमीनों के समायोजन को भी प्रशासन सुनिश्चित कराएगा। 'अमर उजाला' के रविवार को उद्यमियों के साथ हुए संवाद में भू-उपयोग परिवर्तन में आने वाली दिक्कतों को उठाया गया था।

डीएम ने सोमवार को प्रेसवार्ता में बताया कि उद्यमी संयुक्त रूप से औद्योगिक उपयोग के लिए जमीन लेते हैं तो कृषक से गैर कृषि उपयोग के लिए जमीन का भू-उपयोग राजस्व संहिता, 2006 की धारा 80 में आवेदन करना होता है।

इस प्रक्रिया को अब केवल सात दिन में पूरा किया जाएगा। कहा, उद्यमी निजी औद्योगिक पार्क या उद्योग के लिए किसी जमीन को खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए धारा 80 में भू-उपयोग परिवर्तन कराने के लिए जरूरी सहमति पत्र प्रशासन से ले लें। इससे जमीन खरीदने के बाद धारा 80 की प्रक्रिया में समय और परेशानी नहीं होगी।

पूरी जमीन का धारा 80 न कराएं

डीएम ने कहा कि कई मामलों में यह भी देखने में आया है कि ग्राम सभा की जमीन उद्योग की जमीन के बीच आ जाने से उसका समायोजन कराना होता है। उद्यमियों को यह पता होना चाहिए कि इस तरह की जमीन के बदले कृषक जमीन ही ली जा सकती है। कई बार पहले ही पूरी जमीन का धारा 80 का आदेश करा लिया जाता है। ऐसे में समायोजन में समस्याएं आती हैं। ऐसे में जिस जमीन का समायोजन होना हो उसे छोड़कर ही बाकी जमीन का धारा 80 कराएं।

धारा 80 को जानें

राजस्व संहिता की धारा 80 में कृषि उपयोग की जमीन का गैर कृषि उपयोग में परिवर्तन करने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसके लिए शपथ पत्र के साथ औद्योगिक इकाई या अन्य निवेश के लिए तय प्रारूप पर आवेदन करना होता है। यह आवेदन संबंधित तहसील में एसडीएम को करना होगा। इसमें सुनिश्चित किया जाता है कि इस जमीन पर अब कृषि कार्य नहीं होता।

'अमर उजाला' संवाद में उठे मुद्दों का लिया संज्ञान

'अमर उजाला' कार्यालय में रविवार को आयोजित संवाद में उठे मुद्दों पर औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने इसका आश्वासन दिया है कि सभी दिक्कतों को दूर किया जाएगा। जमीन की परेशानी नहीं होगी। प्रोजेक्ट की सुरक्षा का जिम्मा राज्य सरकार लेगी। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं का निस्तारण होगा।